राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/लिफ्ट विविध/2017–18/22115-25 दिनांक : 3/6/19

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना को सौलर ऊर्जा से संचालित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : विभागीय पत्रांक 11057–61 दिनांक 28.02.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से कराने की अनुपालना मे प्रासंगिक पत्र के कम में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होने से निम्नानुसार सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के निर्माण एवं स्थापना की कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 58.33 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10 प्रतिशत देय राशि	विभाग द्वारा 90 प्रतिशत देय राशि
			क्र./दि.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	गाउवा पाडा ग्रा.पं. सुरवानिया	बांसवाडा	21/16-5-19	58.33	5.15	53.18

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 58.33 लाख के विरूद्व टीएडी मद की देय राशि 53.18 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या– 67/2016–17 दिनांक 21.02.2017 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे उपलब्ध राशि रू. 43.76 लाख रू. निदेशक, स्वच्छ परियोजना,उदयपुर को देय होगी।

कार्यो के सम्पादन मे कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी –

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का Third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. प्रस्तावित जल स्त्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं मे लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावें । योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।
9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप मे लाभान्वित कृषको से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावें।
10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावें एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।

11. परियोजना अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की जावें।
12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख–रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावें तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावें।
13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग–अलग जारी किये जावें। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावें।
14. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय–2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय में 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावें । जिसमें संचालन एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावें।
15. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय–समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावें।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित लिफ्ट/2018–19/2215-25 दिनांक : 3/6/19

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या– 67/2016–17 दिनांक 21.02.2017 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे उपलब्ध राशि रू. 43.76 लाख रू. निदेशक,स्वच्छ परियोजना,उदयपुर को हस्तान्तरित करावें।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना बांसवाडा ।
9. गार्ड फाईल ।

अति.आयुक्त(द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com,Website www.tad.rajasthan.gov.in